झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–320 वर्ष 2017

ब्रज बिहारी साहू, पे0–स्वर्गीय रामचंद्र साहू, निवासी ग्राम एवं डाकघर–ककरीया, थाना–लापुंग, जिला–राँची ....

याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची कार्यालय कमरा नंबर 113, रांची कलेक्ट्रेट ब्लॉक ए, कचहरी रोड, डाकघर–जी0पी0ओ0 रांची, थाना–कोतवाली, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री मनिंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– सीनियर एस0सी0–III के जे0सी0

05/07.02.2017 तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं

को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्त्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्त्ता को वर्ष 1990 में आर0सी0 मिशन प्राइमरी स्कूल, मुरूप लैपूंग, रांची में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2012 को सेवानिवृत हुए थे। जिस स्कूल से याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत हुआ है, वह सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की दिशा में सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण कम्पास में निहित है और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्त्ता एक सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय का सेवानिवृत कर्मचारी है और (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य में पारित इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है और अब माननीय

उच्चतम न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले सीनियर एस0सी0– III के विद्वान जे0सी0 ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिया गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)